

भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु.50

FIFTY  
RUPEES



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अनुबन्ध-पत्र ::



मैंने श्रीमती का पिछा परचीन पत्नी श्रीमती निवासिनी-  
फरीदपुर हाजी तहसील - ठाकुरदास जिला मुरादाबाद - प्रथम पक्ष  
एवं

इशतियाक अली पुत्र हसन अली निवासी न्यू सिटार्थ आर्टिमेंट वार्डियात-  
रोड, आगरा - द्वितीय पक्ष, हैं।

जो कि उपरोक्त प्रथम पक्ष का एक किता आवासीय प्लॉट, जिला  
प्लॉट नम्बर : 239 है, स्थित मौहल्ला-आजाद नगर, मुरादाबाद तहसील  
जिला मुरादाबाद में है। जो हर प्रकार के भार, वाद/विवाद, अन्तर्वय,  
द्विपक्षीय आदि से पाक व ताफ प्रथम पक्ष के स्वामित्व व अधिपत्य में है तथा  
जिसे प्रथम पक्ष को विक्रय करने सम्बन्धी समस्त अधिकार विधिमत रूप से प्राप्त  
है। प्रथम पक्ष को इस समय रूप्यों की जरूरत दरपेश आयी है इतलिर प्रथम पक्ष  
उपरोक्त प्लॉट को रूपया - 35,00,000/- = पैंतीस लाख रूपये  
में आधे जिसके 17,50,000/- = सत्रह लाख पचास हजार होते हैं -

श्री इशतियाक अली पुत्र हसन अली द्वितीयपक्ष उपरोक्त के हाथ विक्रय करने  
का अनुबन्ध किया है। तथा प्रथम पक्ष उपरोक्त ने अग्रिम धनराशि / ध्याना के  
रूप में 1,00,000/- = एक लाख रूपया प्राप्त कर के पैनामा बंजीकरप हेतु  
समय आज से अर्थात् 20.01.2023 से 2 जो माह तक - पाया है।

द्विपक्षीय आ प्रथम पक्ष

द्विपक्षीय आ द्वितीयपक्ष

श्रीमती परचीन *Sachin Kumar*

इशतियाक अली

भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु.50



FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

॥२॥

उपरोक्त प्लाट का कुल क्षेत्रफल - 120 वर्ग मीटर है जिसे प्रथम पक्ष को अर्ध-अनुबन्ध किया गया है। अंदर नियत समय सीमा विधिपूर्वक प्रथम पक्ष को बकाया प्रतिकूल अन्न कर के अनुबन्धित प्लाट का करा लेवे, प्रथम पक्ष को कोई अपील नहीं होगी।

मुबाला - 1,00,000/- एक लाख रुपया वजीर बैंक नो. 1579801 भारतीय स्टेट बैंक शाखा नगर निगम अगरा, पिन: 20-01-2023 के द्वारा प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर लिये।

सात: यह अनुबन्ध पत्र स्वस्थ चित्त व स्थिर बुद्धि से तहरीर करीया के समझ हो और समय पर काम आवे।

द्वितीय पक्ष

परवीन

*Sachin Kumar*

द्वितीय पक्ष

अज्ञेय अली

गवाह - अतिक अहमद पुत्र मुश्ताक अली निवासी ग्राम मई तहसील चन्दौरी तम्भल

गवाह - नौशाद अली पुत्र इशतुल्लाह अली निवासी ग्राम मई तहसील चन्दौरी तम्भल

तहरीर व तारीख : 20-01-2023 को स्थान चन्दौरी में बसोदा पक्षण के अनुसार टाइप किया गया।

ATTESTED

TANESH KUMAR BHARTIYA  
Advocate/Notary  
Regd. No. 431/12  
Meerut

25/01/2023

